राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2707, 2708, 2709, 2710,2711, 2712, 2713, 2714,2715,2716, 2717, 2718, 2719 व 2720/2016/जयपुर

उनवान : मैसर्स फन मल्टीप्लेक्स प्रा.लि., जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

(2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2017	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यें चौदह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 124 से 137/अपी.प्राधि-III/मनोरंजन कर/2016–17 में राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 13ए(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 19.10.2016 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 13बी के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वा.क.वि, जयपुर के आदेश की अनुपालना में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 22.09.15 को मय टीम के सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा इन्टरनेट पोर्टल "Book My Show" एवं स्वयं के "Online ticket booking" के जरिये टिकिटों की ऑनलाईन बुकिंग की जाती है, जिस पर प्रति टिकिट अलग से राशि वसूल की जाती है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) उक्त राशि पर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 30 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2016 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया है। अपीलाथी व्यवहारी द्वारा कर एवं ब्याज की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 13(बी) के तहत अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये। लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2707, 2708, 2709, 2710,2711, 2712, 2713, 2714,2715,2716, 2717, 2718, 2719 व 2720/2016/जयपुर

उनवान : मैसर्स फन मल्टीप्लेक्स प्रा.लि., जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

(2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06.01.17

अपील संख्या	अवधि	आरोपित कर	ब्याज u/s 9A	शास्ति u/s 10(3)b	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5	6
2707/16	अगस्त, 2014	38559	15616	77118	**54175**
2708/16	सितम्बर, 2014	17226	6632	34452	**23858**
2709/16	अक्टूबर, 2014	48520	17709	97040	**66229**
2710/16	नवम्बर, 2014	14257	4919	28514	**19176**
2711/16	दिसम्बर, 2014	69314	22527	138628	**91841**
2712/16	जनवरी, 2015	16169	4932	32338	**21101**
2713/16	फरवरी, 2015	12773	3641	25546	**16414**
2714/16	मार्च, 2015	13377	3545	26754	**16922**
2715/16	अप्रैल, 2015	34942	8560	69884	**43502**
2716/16	मई, 2015	64376	14485	128752	**78801**
2717/16	जून, 2015	64719	13267	129438	**78006**
2718/16	जुलाई, 2015	92305	17077	184610	**109385**
2719/16	अगस्त, 2015	54629	9013	109258	**63642**
2720/16	सितम्बर, 2015	25817	3744	51634	**29561**

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे.एन. शर्मा द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपीलार्थी के ही प्रकरण में अपील संख्या 1603 से 1616/2016/2016/जयपुर में आदेश दिनांक 22.07.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया गया था। उन्होंने कथन किया कि हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्रों के तथ्य तथा पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 से पूर्णतः आच्छादित होने से उन्होंने उपरोक्त तालिका के कालम संख्या 6 में अंकित राशियों को स्थगित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्को का खण्डन करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, तथा अपील व स्थगन आधारों एवं उद्धरित निर्णय पर विचार किये जाने के उपरान्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य गांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–6** में अंकित है, की वसूली पर इस

शर्त पर अग्रिम तारीख पेशी तक रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, पारित आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा। अपील प्रकरण सुनवायी हेतु **दिनांक** 17.03.2017 एकलपीठ के समक्ष अजमेर में पेश हो तहत का रिकॉर्ड शीघ्र तलब हो।

आदेश सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य